

8-3-19 थाना प्रकारी वि प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

प्रथम पक्ष - अनु.

दि 3-4-19

3-4-19

थाना प्रकारी वि प्रतिवेदन प्राप्त है।

प्रथम पक्ष - अनु.
दि 27-4-19

27-4-19

थाना प्रकारी वि प्रतिवेदन प्राप्त है।

प्रथम पक्ष - अनु.

दि 14-6-19

14-6-19

थाना प्रकारी वि प्रतिवेदन प्राप्त है।

प्रथम पक्ष - अनु.

दि 3-12-19

3-12-19

थाना प्रकारी वि प्रतिवेदन प्राप्त है।

दि 5-6-20

05/06/2020

प्रथम पक्ष - अनु.

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन के बाद यह विचार होता है कि थाना प्रकारी के प्राप्ति प्रतिवेदन के समस्त व्यतीत हो चुका है, तथा प्रथम पक्ष न्यायालय के द्वारा कई दिवसों के लगातार अनुपस्थित हैं, जिस कारण से यह विचार प्रथम पक्ष के इस प्राप्ति में कोई अतिरिक्त नहीं है।

अतः प्राप्ति की कार्यवाही समाप्त की

लेखापति


अनु. दासा
डिप्टी


अनु.